**प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत.**

**महाराष्ट्र शासन**
**पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,**
**शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/अहमदनगर/पर्यटन**
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,
दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०१९.

संदर्भ :- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५/१/२०१९.

**शासन निर्णय :**

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील खालील कामांसाठी रु. १८३८.९४ लक्ष एवढ्या रकमेस शासन याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देत असून त्या कामांसाठी २०१८-२०१९ या वर्षासाठी रु.२०५.०० लक्ष एवढा निधी जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे.

**(रु.लक्षात)**

| अ.क्र. | कामाचे नाव | अंदाजित रक्कम | वितरीत करावयाचा निधी | कार्यान्वयीन यंत्रणा |
|---|---|---|---|---|
| (१) | **श्री क्षेत्र अडबंगनाथ संस्थान भामाठाण ता. श्रीरामपूर येथील कामे** | | | |
| १ | बहुउद्देशीय हॉल | १२५.०० | ३५.०० | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर |
| २ | बाग कारंजे | १६.३ | | |
| ३ | शॉपिंग,भक्तनिवास, कॉम्पेक्स | ४०.०० | | |
| ४ | प्रवेशपत्रिका | १७.३४ | | |
| ५ | GST १८ % | ३५.७५ | | |
| | **एकूण** | **२३४.३९** | **३५.००** | |
| | | | | |
| (२) | **श्री क्षेत्र देवगड संस्थान ता. नेवासा येथील विकास कामे** | | | |
| १ | यात्री निवास इमारतीचे बांधकाम करणे | १४८.७८ | | अधिक्षक |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २ | संरक्षक भिंत बांधणे | ३४.४० | २५.०० | अभियंता,सा.बां .विभाग, अहमदनगर |
| ३ | परिसर पेव्हिंग ब्लॉक | २२.३९ | | |
| ४ | चेन लिंक फेनसिंग | ४.०८ | | |
| ५ | इलेक्ट्रीक हाय मास्ट | ५.४७ | | |
| ६ | आर्किटेक्ट / पीएमसी फीस (१ ते ५ च्या २ %) | ४.३० | | |
| | **एकूण** | **२१९.४२** | **२५.००** | |
| | | | | |
| **(३)** | **श्री क्षेत्र हरिहरेश्वर केशव गोविंद संस्थान, बेलापूर खुर्द, ता. श्रीरामपूर येथील विकास कामे.** | | | |
| १ | बहुउद्देशिय सभागृह | १५७.६९ | ४५.०० | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर |
| २ | बगीचा व संगीत कारंजे | २०.०२ | | |
| ३ | घाट बांधणे | ११.०५ | | |
| ४ | कार्यालय इमारत बांधणे | ६०.१७ | | |
| ५ | संरक्षक भिंत बांधणे | १२.३६ | | |
| ६ | प्रवेशव्दार कमाणी | १७.३४ | | |
| ७ | अंतर्गत रस्ते | २५.४८ | | |
| ८ | शॉपिंग व लॉजिंग | ९३.८ | | |
| ९ | जी.एस.टी | ४७.७५ | | |
| | **एकूण** | **४४५.६६** | **४५.००** | |
| | | | | |
| **(४)** | **श्री सिध्दीविनायक गणपती मंदिर सिध्दटेक ता. कर्जत येथील विकास कामे** | | | |
| १ | Ghat Development | ८०.०० | ५०.०० | कार्यकारी अभियंता, सा.बां.वि. अहमदनगर |
| २ | Entrance Arch, R.C.C. Gutter, Approch Road | १३०.०० | | |
| ३ | Garden, Steps, Compound Wall | ९१.७५ | | |
| ४ | Darshanbari, Paving block Pradkshina marg, Cecorative Lights | ७०.०० | | |
| ५ | Street Light, Road side plantation, Police outpost | २६.४० | | |
| ६ | Electrification charges ११ % | ४३.७९ | | |
| ७ | Contingencies ४ % | १५.९२ | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ८ | work charge Establishment २.५० % | ९.९५ | | |
| ९ | Consultancy charges ४ % | १५.९२ | | |
| | **एकूण** | **४८३.७३** | **५०.००** | |
| | | | | |
| **(५)** | **श्री काशी विश्वनाथ देवस्थान ढोरजे, ता. श्रीगोंदा येथील विकासाबाबत.** | | | |
| १ | पुलासह ऑप्रोच रोड तयार करणे | १४.७४ | ५०.०० | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर |
| २ | घाटाचे बांधकाम करणे | ३९.२३ | | |
| ३ | भक्त निवास इमारत बांधणे | ३९.९ | | |
| ४ | मंग कार्यालयाचे बांधकाम करणे | ८५.२८ | | |
| ५ | दर्शन रांगेसाठी इमारत बांधणे | ३२.८८ | | |
| ६ | मंदिरासमोर सभामंडपाचे बांधकाम | ७४.६७ | | |
| ७ | संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे | ४९.७९ | | |
| ८ | देवस्थान परिसरात पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे | ४९.८२ | | |
| ९ | प्रसादालय इमारतीचे बांधकाम | ४१.९२ | | |
| १० | स्टोअर रुम इमारत बांधणे | १९.२१ | | |
| ११ | पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे | ८.३ | | |
| | **एकूण** | **४५५.७४** | **५०.००** | |
| | **एकूण अहमदनगर** | **१८३८.९४** | **२०५.००** | |

२. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २.४.२०१८ च्या परिच्छेद ७ ते १८ मधील प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पूर्तता करण्यात आली आहे.

| **अ.क्र.** | **परिपत्रकातील परिच्छेत क्र.** | **विषय** | **विभागाचे अभिप्राय** |
|---|---|---|---|
| १ | ७-अ | एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे | प्रशासकीय विभाग असलेल्या अधिकाराअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. |
| २ | ७-ब | अर्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्यक असते (योजनांतर्गत नियतव्यय उपलब्ध) व अर्थसंकल्पित करणे | अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध आहे. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३ | ८ | प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-१०.०८/ प्र.क्र.७०/ विनियम, दि.१५/५/२००९ अन्वये अधिकार असणे | वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला,उप विभाग एक अ.क्र. २७ नियम क्र. १४९ नुसार प्रशासकीय विभागांला पुर्ण अधिकार आहे. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक, दिनांक २०.४.२०१६ अन्वये विभागास अधिकार प्रदान केलेले आहेत. |
| ४ | ९ | विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी खर्च केलेल्या अनुदानाची अपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करुन घेणे | या कामांना पुर्वी निधी वितरीत केलेला नाही. |
| ५ | १० | विभागाद्वारे संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी खर्च करण्यात येतो. त्याचे तपशीलवर देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. | संक्षिप्त देयकाद्वारे निधी काढण्यात येत नाही. |
| ६ | ११ | स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने | लागू नाही. |
| ७ | १२ | वैयक्तिक लाभर्थीच्या योजनेची देयके | लागू नाही. |
| ८ | १३ | शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्ति काभार्थी यांच प्रदाने | लागू नाही. |
| ९ | १४ | बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्र.मा./तां.मा. तसेच आवश्यक तेथे सचिव समितीची मान्यता | प्रशासकीय मान्यता या शासन आदेशान्वये देण्यात आली आहे. सचिव समितीचे प्रकरण नाही. |
| १० | १५ | दुय्यम कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढण्यात यावेत | खरेदी नसल्याने लागू नाही. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ११ | १६ | साहित्य खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय खरेदीची देयके कोषागारातून आहरित करण्यात येऊ नये. | लागू नाही. |
| १२ | १७ | विविध करणांमुळे अखर्चित राहिलेला निधी विभागांची त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते. | लागू नाही. |
| १३ | १८ | विभागांमार्फत करण्यात येणारे संगणकीकरण संदर्भातील खर्च शासनाचे दरपत्रकानुसार/निविदाद्वारे करण्यात यावा. | लागू नाही. |

**३.** तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ च्या परिशिष्टामधील तपासणी सूचीतील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यात आली आहे.

<u>अटी व शर्ती :-</u>

१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे.

२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही.

३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे तात्काळ पूर्ण करावीत.

४) पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात यावेत.

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्यक आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन

होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी.

७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी.

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१०) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी.

११) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर करण्यात यावे.

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची जबाबदारी सदर आदेशात नमूद कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील.

४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी **क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान"** या लेखा शिर्षाखाली मंजुर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी, अहमदनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या

अनुदानाची रक्कम संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना रक्कम वितरीत करण्यात यावी.

**५.** हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०/४/२०१६ व दि.८/२/२०१७ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक अ.क्र.२७ नियम क्र.१४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

**६.** सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०२२२१८२६०६२१२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

Ravindra Laxmikant Lakhote

Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhote
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tourism And Cultural Affairs Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=ae5e5678dc8c9d9c01f7043448a53f6a9fbe81e46d183af43c9a9e01eb42c7c7, serialNumber=93c11f919f0c5fba6953b4841cc8cfd46b2b788da139e3f21b3d79d2cf976efa, cn=Ravindra Laxmikant Lakhote
Date: 2019.02.22 18:29:43 +05'30'

**( र. ल. लखोटे )**
**कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन.**

**प्रति,**

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई.
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई.
५. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर.
७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, अहमदनगर.
८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई.
९. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई.
१०.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.
११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन.

***